(116)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3192–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–8–2014 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 3/बी–121/2013–14.

.....

1–मुन्नीबाई बेवा महेश गुप्ता

2–संदीप गुप्ता आत्मज महेश गुप्ता

3–संजय गुप्ता आत्मज महेश गुप्ता

4–मनीष गुप्ता आत्मज महेश गुप्ता

5–संध्या गुप्ता उर्फ गुड्डी पुत्री महेश गुप्ता

समस्त निवासी मोहल्ला बालागंज होशंगाबाद

तहसील व जिला होशंगाबाद

..... आवेदकगण

विरूद्ध

कचरू कुर्मी आत्मज स्वर्गीय श्री मुल्लू कुर्मी

निवासी वार्ड नम्बर 30 ग्वालटोली मोहल्ला

होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद

.....अनावेदक

श्री ओ.पी.दुबे, अभिभाषक– आवेदकगण

श्री मनीष सराठे, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 12/10/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–8–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा नायब तहसीलदार होशंगाबाद के समक्ष उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्वालटोली स्थित के प्लाट नम्बर 4/1 रकबा 6.601 वर्गफीट के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 28–4–13 को सीमांकन हेतु सूचना पत्र जारी किया गया एवं दिनांक 30–4–13 को सीमांकन कर स्थल पंचनामा तैयार किया गया । तहसीलदार द्वारा की गई इस कार्यवाही के विरूद्ध अनावेदक द्वारा कलेकटर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । कलेक्टर के द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 03/बी–121/13–14 दर्ज कर दिनांक 6–8–14 को आदेश पारित किया जाकर राजस्व निरीक्षक होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–13 निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन किया गया है और सीमांकन पंचनामे पर कचरू एवं उसकी पत्नी के हस्ताक्षर है । अनावेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष 8 माह विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसे स्वीकार करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) कलेक्टर द्वारा सीमांकन प्रकरण का बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा उसके स्वत्व स्वामित्व का भूखण्ड रकबा 1089 वर्गफीट पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है और उस भवन निर्माण कर निवासरत है ।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा लाईन खींचकर अनावेदक एवं उसकी पत्नी के हस्ताक्षर कराने के पश्चात पंचनामे में इबारत लिखी गई है । अनावेदक कचरू द्वारा भूमि कय करने के पश्चात आवेदिका द्वारा भूमि कय की गई है इसलिये संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 81 के अनुसार कम बंधन विधि के अनुसार कचरू का हक मुन्नीबाई से पहले सुरक्षित है ।

(3) अनावेदक को सीमांकन की जानकारी उस समय हुई तब द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 होशंगाबाद से उसे सूचना पत्र प्राप्त हुआ, अतः जानकारी के दिनांक से निगरानी समय सीमा में प्रस्तुत की गई थी जिसे समय सीमा में मान्य करने में कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा रजिस्ट्री के अनुसार सीमा टेप से नापकर सीमांकन किया गया है जो कि संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 2010 आरएन 259 एवं 1986 आरएन 190 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जो सूचना पत्र जारी किये गये वह सूचना पत्र किसी भी व्यक्ति पर तामील होना नहीं पाये गये तथा सीमांकन स्थल पंचनामा के अनुसार दिनांक 30–4–2013 करे सीमांकन किया गया जिसकी सूचना वास्तविक व्यक्तियों को दी जाना नहीं पाया गया । सीमांकन के दौरान पंचनामा अनुसार सीमाचिन्ह संदर्भित किये बिना रजिस्ट्री के अनुसार प्लाट की सीमा नापकर बताई गई, फील्डबुक नहीं बनाई गई, केवल

पंचनामा के आधार पर सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । अतः स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की जो प्रकिया अपनाई गई है वह संहिता की धारा 129 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत होना पाया जाता है । कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय (राजस्व निरीक्षक) के अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है इसलिये कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–8–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर